Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **उदयपुर में महारानी गर्ल्स बी.एड. कॉलेज का कार्यालय प्रशासक 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *16 जुलाई।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर उदयपुर इकाई द्वारा आज शुक्रवार को कार्यवाही करते हुये योगेश वत्स कार्यालय प्रशासक, महारानी गर्ल्स बी.एड. कॉलेज, माल की टूस, जिला उदयपुर को परिवादी से 5 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की उदयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि बी.एड. कोर्स प्रेक्टिकल एवं हाजिरी भिजवाने की एवज में योगेश वत्स कार्यालय प्रशासक, महारानी गर्ल्स बी.एड. कॉलेज, माल की टूस, जिला उदयपुर द्वारा 20 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी उदयपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश ओझा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक डॉ. सोनू शेखावत** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये योगेश वत्स पुत्र श्री शिवनन्द शर्मा निवासी 58, वसुन्धरा कॉलोनी, शास्त्रीनगर, मेरठ (उ.प्र.) हाल निवासी महाराजा कॉम्पलेक्स, हकदर रोड़, देबारी, उदयपुर हाल कार्यालय प्रशासक, महारानी गर्ल्स बी.एड. कॉलेज, माल की टूस, जिला उदयपुर को परिवादी से 5 हजार रुपये रिश्वत राशि के रूप में लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि शिकायत के सत्यापन के दौरान ही आरोपी द्वारा परिवादी से 10 हजार रुपये रिश्वत राशि ली जा चुकी थी।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।